

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-304/2025 दिनांक 31.10.2025)
***दिनांक-31.10.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा गोवध/गो-तस्करी के मामले में वांछित चले रहे 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.10.2025 को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 210/2025 धारा-3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण 1. अवध नरायण सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रमा सिंह सा0 दुर्गापुर थाना मांझी जनपद सारण छपरा बिहार 2. सत्येन्द्र यादव पुत्र शिवनाथ यादव सा0 राजी करियापार थाना खेजुरी जिला बलिया को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-210/2025 धारा-3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अवध नरायण सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रमा सिंह सा0 दुर्गापुर थाना मांझी जनपद सारण छपरा बिहार
2. सत्येन्द्र यादव पुत्र शिवनाथ यादव सा0 राजी करियापार थाना खेजुरी जिला बलिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री धनवीर सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 रविकान्त सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 अंकित सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 4- हे0का0 अरविन्द यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 5-का0 गिरिश कुमार थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 6- का0 दिपक सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 7-का0 सुनील यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर



8-का0 विपिन पाण्डेय थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
9-म0का राधा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 33 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-02, ई-चालान-50 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-57, व्यक्ति-154
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-36)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

